

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री आनंद कुमार पाण्डेय ले.प., श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री डी.के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.01.2021 से 01.02.2021 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनंद कुमार पाण्डेय (लेखापरीक्षक) श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री बी.बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.06.2019 से 22.06.2019 तक श्री के.एल. भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह 05/2019 से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	7091.89
2018-19	10844.10
2019-20	8636.59

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

रु०:

(₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	-	-	870.57	839.55	-	31.02
2018-19	-	-	910.07	901.37	-	7.70
2019-20	-	-	294.40	279.54	-	14.86

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-2, राज्य कर, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: 05/2019 (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1 : गलत आईटीसी (ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹24.44 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 1 : कर का अनारोपण ₹ 12.84 लाख।

प्रस्तर- 2 : आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.06 लाख।

प्रस्तर- 3 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹12.31 लाख।

प्रस्तर- 4 : कर के अनारोपण एवं त्रुटिपूर्ण आईटीसी दिये जाने और तत्संबंधी अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 0.76 लाख।

प्रस्तर- 5 : व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का न्यूनारोपण ₹ 11.82 लाख।

प्रस्तर- 6 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 5.60 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 'अ'

प्रस्तर - 1: गलत आईटीसी (ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 24.44 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1) (xi) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रुपए या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - 2, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित व्यापारियों द्वारा ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स का दावा किया गया था जो अनुमन्य नहीं था एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त गलत दावाकृत आईटीसी को अस्वीकार भी किया गया था। अतः गलत दावा किए गए इनपुट टैक्स लाभ पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1) (xi) के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ₹ 24,43,657/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था।

क्रम सं	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	गलत दावाकृत ITC	अर्थदण्ड की राशि
	(a)	(b)	(c)	(d = 3 x c)
1	सर्वश्री साइकोट्रोफिक्स इंडिया लिमिटेड, TIN: 05005420676	2015-16	506348	1519044
2	सर्वश्री श्री सन राईज़ कंटेर्स लिमिटेड, TIN: 05006303473	2015-16	274871	824613
			Total	24,43,657/-

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अभिलेखों की जांचोपरांत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

अतः, गलत आईटीसी (ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण से ₹ 24.44 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 1 : कर का अनारोपण ₹ 12.84 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी तयौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर विभाग हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री मलिक लाइफ साइंस प्रा. लिमिटेड (टिन न. 05007117788, कर निर्धारण वर्ष 2016-17) की पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा प्रांत के अन्दर से ₹ 8771053/- के कैपिटल गुड्स की खरीद की गयी थी। तथा प्रांत के बाहर से ₹ 55223729/- के कैपिटल गुड्स की खरीद की गयी थी। इस प्रकार व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में कुल ₹63994782/- (₹55223729+8771053) के कैपिटल गुड्स की खरीद की गयी थी।

पत्रावली में संलग्न बैलेन्स शीट की जाँच में पाया गया कि ₹ 60513261/- के कैपिटल गुड्स को ही बैलेन्स शीट में सम्मिलित किया गया था जिसमें से ₹ 13976561/- का भवन शामिल था। इस प्रकार ₹ 46536700/- (₹60513261 - ₹13976561) के कैपिटल गुड्स की खरीद को ही फिक्स्ड असेट्स में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 7947800/- के कैपिटल गुड्स का विक्रय किया गया था जबकि ₹ 3268423/- को ही बैलेन्स शीट से घटाया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण विक्री को भी कैपिटल गुड्स में सम्मिलित कर ले तो ₹ 54481500/- (₹46536700 + ₹7947800) को ही कैपिटल गुड्स में सम्मिलित किया गया था।

इस प्रकार ₹ 9513282/- (₹ 63994782 - ₹ 54481500) कैपिटल गुड्स को बैलेन्स शीट में सम्मिलित नहीं किया गया था। जिस को विक्रय मान कर कम से कम 13.5% की दर से ₹ 1284293/- का कर आरोपणीय होने से रह गया है जिस पर नियमानुसार जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अभिलेखों की जांच कर सम्यक उत्तर / कार्यवाही से संप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 2 : आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 1.06 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 4 (क) के अनुसार यदि किसी कर अवधि में कोई पंजीकृत व्यक्ति माल (पंजीगत माल को छोड़कर), जिस पर इस धारा के उपबंधों के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य है, का क्रय करता है और ऐसे क्रय को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए आंशिक रूप से उपयोग करता है, तो इनपुट टैक्स का लाभ उसी अनुपात में अनुमन्य होगा जिस सीमा तक विभिन्न प्रयोजनों हेतु उनका उयोग किया गया है। अतः, उत्पादित माल के स्टॉक ट्रान्सफर की स्थिति में स्टॉक ट्रान्सफर के अनुपात में ही दावाकृत टैक्स क्रेडिट में कमी कर दी जाती है। पुनः, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1) (xi) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रुपए या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - 2, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री **गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी, हरिद्वार, (TIN: 05002258088)** द्वारा प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों से ` 891139/- का रॉ मैटिरियल 5% की दर से, ` 52,548/- का रॉ मैटिरियल 13.5% की दर से एवं ` 28,34,377/- का पैकिंग मैटिरियल 5% की दर से क्रय करते हुए ` 31,967/- का आईटीसी रिवर्स किया गया है एवं ` 1,61,403/- का आईटीसी क्लेम किया गया था। चूंकि व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ` 36347235/- में से ` 12478770/- मूल्य के माल का स्टॉक ट्रान्सफर किया गया था जो कुल बिक्री का 34.33 % है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार रॉ मैटिरियल की ` 891139/- की खरीद के सापेक्ष ` 9178/-, ` 52548/- के रॉ मैटिरियल की खरीद के सापेक्ष ` 541/- एवं ` 28,34377/- के पैकिंग मैटिरियल की खरीद के सापेक्ष ` 48652/- अर्थात् कुल ` 58,731/- (9178 + 541 + 48652) का आईटीसी रिवर्स करते हुए ` 134999/- का आईटीसी अनुमन्य किया जाना चाहिए था। अतः, अधिक दावाकृत एवं अनुमन्य आईटीसी ` 26404/- (161403 - 134999) ब्याज समेत राजकोष में जमा कराये जाने योग्य

है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 58(1) (xi) के अनुसार उपरोक्त गलत दावा की गई ITC राशि का तीन गुना अर्थात् ` 79212/- (26404 x 3) का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अभिलेखों की जांच कर आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। कृत कार्यवाही से संप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` 1,05,616/- (26404 + 79212) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 3 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 12.31 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में, यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हजार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रूपए 20 हजार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - 2, राज्य कर, हरिद्वार, के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 2,30, 08,877/- को विलंब से जमा किया गया था। अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 12,31,393/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अभिलेखों की जांच के पश्चात विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए सप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` 12,31,393 की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर - 4 : कर के अनारोपण एवं त्रुटिपूर्ण आईटीसी0 दिये जाने और तत्संबंधी अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 0.76 लाख।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर-2 हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि **सर्वश्री वी0 एन0 एम0 इंजीनीयरिंग प्रा0 ली0 हरिद्वार (टिन 05009569172)** कर निर्धारण वर्ष 2015-16 व्यापार आटो पार्ट्स की निर्माण-बिक्री का था। संगत वर्ष में प्रांत बाहर से कुल ₹96182386 का आयात किया गया, जिसमें ₹ 2204789 की पूंजीगत मशीनरी तथा ₹ 93977597 की रॉ मैटीरियल थी। संगत वर्ष में कुल खरीद ₹ 99652597 की शुद्ध खरीद घोषित की गयी जिसमें ₹93977597 के रॉ मैटीरियल का आयात शेष ₹ 5675000 की खरीद प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों से है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में लोकल परचेज में ₹ 125000 एवं आयातित खरीद में ₹ 2232001 की खरीद कैपिटल गुड्स की गयी। बैलेन्स शीट में फिक्स्ड अससेट्स की जांच में पाया गया कि कुल एडिशन ₹ 1901908 की है। अतः ₹ 455093 का कैपिटल गुड्स पर 13.5% के अंतरीय दर से कर ₹ 61438.00 एवं नियमानुसार ब्याज आरोपणीय है। पुनः ₹ 125000 के कैपिटल गुड्स पर लिया गया आई टी सी ₹ 3750 रिवर्स किए जाने योग्य है तथा नियमानुसार अर्थदण्ड ₹ 11250 भी आरोपणीय है।

विभागीय आख्या में स्पष्ट किया गया कि अभिलेखों की जांच कर सम्यक उत्तर /कार्यवाही से संप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 5 : व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का न्यूनारोपण ` 11.82 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर विभाग हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री आटो सर्विस ईक्यूपमेंट्स (टिन: 05006326171, कर निर्धारण वर्ष 2016-17) द्वारा कम्प्रेसर, टूल्स, लुब्रिकेंट्स, गैरिज़ ईक्यूपमेंट्स/स्पेयर पार्ट की खरीद विक्री का है। व्यापारी की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी संगत वर्ष में कुल ₹ 19271330/ की कम्प्रेसर, टूल्स, लुब्रिकेंट्स, गैरिज़ ईक्यूपमेंट्स/स्पेयर पार्ट की आयातित खरीद फॉर्म 16 से की गयी थी जिसमें 13.5% की वस्तु (गैरिज़ ईक्यूपमेंट्स/स्पेयर पार्ट) की खरीद ₹ 12617469/- की घोषित की गई थी। तथापि, उपयोग किए गए फॉर्म 16 के विवरण की जांच में पाया गया कि 13.5% की वस्तु गैरिज़ ईक्यूपमेंट्स/स्पेयर पार्ट का आयात ₹ 17617129/- का किया गया था। (स्पेयर पार्ट ₹ 14874775/+ गैरिज़ ईक्यूपमेंट्स ₹ 2742354/) तथा प्रांभिक रहतिया ₹ 128760/ एवं अन्तिम रहतिया ₹ 218720/- बताया गया था जिसके अनुसार कम से कम बिक्री लाभांश रहित ₹ 17527169/- (प्रांभिक रहतिया ₹ 128760/ + खरीद ₹ 17617129/- अन्तिम रहतिया ₹ 218720/-) होनी चाहिए जबकि बिक्री ₹ 3626359/- ही घोषित की गई थी (प्रांतीय ₹ 2150325/- + केंद्रीय ₹ 803840/- + स्टॉक ट्रांफर 672194/)। इस प्रकार ₹ 13900810/- (₹ 17527169/- ₹ 3626359/) की बिक्री कम घोषित की गई थी।

अतः ₹ 13900810/- के कम बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5%-5%) से कर ₹ 1181569/- का कर आरोपित होने से रह गया है (क्योंकि 5% की दर से बिक्री अधिक हैं)। नियमानुसार इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आयातित खरीद का विवरण कम्प्रेसर / कम्प्रेसर स्पेयर पार्ट की हैं जिस पर 5% की कर देयता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि उपयोग किए गए फॉर्म 16 के विवरण में स्पष्ट रूप से स्पेयर पार्ट एवं लैब अंकित है, जिस पर 13.5% की कर देयता है।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 6 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 5.60 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर-2 हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि

(i) **सर्वश्री पंजाब ट्रेडिंग कंपनी अनाज मंडी ज्वालापुर हरिद्वार (टिन- 05005422422, कर निर्धारण वर्ष 2015-16)** का व्यापार घी, रिफाइंड, दाल, चीनी की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल ₹ 18367133 की खरीद की गयी। समस्त खरीद प्रांतीय है, जिसमें ₹ 17001133 की घी, रिफाइंड ऑइल की खरीद 5% की दर से की गयी जिसपर रु 850057 आई टी सी क्लेम किया गया। ₹ 1366000 की चीनी की करमुक्त खरीद की गयी। पुनः संगत वर्ष में कुल ₹ 20001010 की बिक्री घोषित की गयी। जिसमें ₹ 16992315 घी, रिफाइंड आयल की बिक्री पूर्ण दर से की जिसपर 05% की दर से करारोपण किया गया। ₹ 625500 की घी रिफाइंड आयल की बिक्री एक फार्म-11 के विरुद्ध 3% की दर से की गयी। शेष ₹ 220000 की बिक्री 5%की दर से की गयी। पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त फार्म 11 के विरुद्ध घोषित बिक्री जेनेका हेल्थ केयर को की गयी। यद्यपि फार्म 11 के अनुसार उक्त बिक्री घी रिफाइंड आयल की नहीं है उक्त बिक्री बल्क ड्रग की है जिसकी खरीद पंजाब ट्रेडिंग कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से उक्त खरीद खातों से बाहर की गयी । अतः ₹ 625500 की बिक्री पर अंतरीय कर दर 2% (5-3) से कर ₹ 12510/- आरोपणीय है।

विभागीय उत्तर में उल्लेख किया गया किपंजाब ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बिल संख्या 152 दिनांक 25.12.2015 द्वारा ₹ 289500 तथा बिल संख्या 153 दिनांक 30.12.2015 द्वारा ₹ 336000 कुल ₹625500 का रिफाइंड, फार्म-11 के विरुद्ध सर्वश्री जेनेका हेल्थ केयर को विक्रय किया गया है।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) **सर्वश्री सेवियर फेयर मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्रा ली हरिद्वार टिन 05005444053 कर निर्धारण वर्ष 2015-16)** कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार प्लास्टिक पाइप (पी पी आर फिटिंग्स)की निर्माण बिक्री का था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल ₹ 182725108 का रॉ माइटीरियल, पैकिंग मैटीरियल, कंज्यूमेबिल स्टोर की खरीद घोषित की गयी, जिसमें ₹ 77665121.00 की खरीद प्रांत अंदर से की गयी तथा ₹ 105059897 की आयातित खरीद घोषित की गयी। प्रांतीय खरीद में ₹ 77005461 का रॉ मैटीरियल की खरीद 5% के दर से की गयी। जिसपर ₹ 3850273 आई टी सी क्लेम किया गया। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल ₹ 106854132 का आयात किया गया जिसमें से ₹ 103066937 का रॉ मैटीरियल ₹ 379299 का कंज्यूमेबिल ₹ 1261818 की मशीनरी ₹ 1613661 का पैकिंग मैटीरियल ₹532417 का टूल्स सम्मिलित है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में चार फार्म 11 निर्गत कर ₹ 2949136 की खरीद (₹ 12496 का स्पेयर पार्ट्स + ₹3320 का गैयर ऑइल + ₹ 3320 का गैयर आयल + 2930000 का मौल्ड्स) की गयी, परंतु उक्त खरीद को समस्त खरीद में शामिल नहीं किया गया था। अतः उक्त खरीद की बिक्री मानते हुए न्यूनतम 13.5% के दर से कर एवं नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।

विभागीय आख्या में उल्लेख किया गया कि व्यापारी द्वारा ₹ 2949136.00 की खरीद जोकी प्लांट/मशीनरी इक्विपमेंट इत्यादि से संबन्धित है, विधिवत अपने अभिलेखों में अंकित की गई है। तथ्य वार्षिक विवरणी के annexure 28 में भी इसका पूर्ण विवरण दिया गया है। चूंकि इस खरीद में उल्लिखित माल का माल के निर्माण में सहयोग है किन्तु यह रॉ/पैकिंग माइटीरियल नहीं है अतः इस पर कर की देयता आकर्षित नहीं होती है। इन वस्तुओं की बिक्री होने पर कर देयता सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि ₹ 12496 का स्पेयर पार्ट्स, ₹2930000 का मौल्ड्स फिक्स्ड अससेट्स के प्लांट एवं मशीनरी का पार्ट है एवं तदनुसार उसे बैलेन्स शीट में शामिल नहीं किया गया है। यदि उसे खरीद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शामिल किया गया होता तो यह भी सुनिश्चित किया गया होता कि उक्त खरीद बैलेन्स शीट में शामिल है। अतः कुल ₹3,97,237.00 (12496+2930000=2942496*13.5%) कर के रूप में आरोपणीय है।

(iii) **सर्वश्री सत्या एंटरप्राइजेज़, टिन सं- 05011759723** द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में फिक्स्ड अससेट्स के विवरण में ₹ 3,66,563/- की ट्रक की बिक्री दर्शायी गई थी परंतु उक्त बिक्री पर कोई भी कर आरोपित नहीं किया गया था। अतः उक्त बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तुओं के विक्रय की भांति 13.5% की दर से ₹ 49,486/- का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अभिलेखों की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही से संप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा।

(iv) सर्वश्री हिप्रो मोल्टिंग इंडस्ट्रीज़, टिन सं - 05001812276, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में ` 6,10,000/- की फ़िक्स्ड असेस्ट्स (ओल्ड कार) की बिक्री घोषित की गई थी, परंतु उक्त बिक्री पर कोई भी कर आरोपित नहीं किया गया था। अतः, उक्त बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तुओं के विक्रय की भांति 13.50% की दर से ` 82,350/- का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि यह बिक्री व्यापारी द्वारा उत्तराखंड में नहीं किया गया है बल्कि महाराष्ट्र राज्य में ही खरीदी गई गाडियाँ वही विक्रय की गई हैं। अतः, इस पर कर देयता नहीं है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त बिक्री को व्यापारी की हरिद्वार स्थित इकाई के लेजर खाता में बिक्री के रूप में अंकित किया गया है। यदि उक्त बिक्री महाराष्ट्र स्थित इकाई से संबन्धित होती तो उत्तराखंड राज्य से संबन्धित लेजर खाता में उक्त बिक्री को दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः, ` 82,350/- का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

अतः, ` 5,60,348/- (31,275 + 3,97,237 + 49,486 + 82,350) के कर के अनारोपण का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/27/2019-20	01	01,02,03,04	-
CT/81/2018-19	01	01,02	-
CT/39/2017-18	01	01,02,03	-
CT/06/2015-16	01	01,02,03	-
CT/38/2014-15	02	01,03	-
CT/06/2013-14	-	02	-
CT/26/2010-11	-	03	-
CT/20/2008-09	-	01	-
CT/07/2006-07	-	01,02,03,04,05	-

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री रोशन लाल	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV